

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-07/2017

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०),  
निदेशक।

सेवा में,

आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय),  
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, मुंगेर,  
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, बेगुसराय, सारण एवं कटिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय योजनागत योजना उपशीर्ष-0406 राजीव  
आवास योजना (क्षमता निर्माण) शीर्ष से निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ  
क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत्यादेश संख्या-1575 दिनांक 21.07.2017 के  
आलोक में ₹53,57,380/- (तीरपन्न लाख सन्तावन हजार तीन सौ अस्सी)  
रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने  
पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल  
से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017  
पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की  
सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- राजीव आवास योजना/क्षमता निर्माण शीर्ष के अन्तर्गत भारत सरकार के Ministry of  
Housing and Urban Poverty All alleviation National building organization के पत्र  
संख्या-G-25011/1/2007-Admn. (NBO) Dated 11.09.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15  
में विमुक्त राशि ₹59.00 (उनसठ लाख रुपये) में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय  
एवं अवशेष राशि के व्यय हेतु प्राप्त पत्रांक-N.11027/43/2007-JNNURM/NBO दिनांक  
26.08.2016 के आलोक में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि व्यय किया जा  
सकता है।
- तदनुसार निदेशालय के स्वीकृत्यादेश सं०-1575 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में  
वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित  
की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष  
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेसी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय  
योजनागत योजना, उप शीर्ष-0406-राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के अन्तर्गत  
आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050406  
है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 13 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी  
आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय), बिहार, पटना  
एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
11. स्वीकृतादेश संख्या-1575 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत योजना एवं व्यय के लिए ही राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना  
2. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

15

दिनांक-

02/08/17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)  
2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (आवास) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना  
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

निदेशक

*(Handwritten Signature)*

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-0406-राजीव आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050406 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13.01 कार्यालय व्यय	16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20.03 प्रशिक्षण व्यय	28.02 सविदा सेवाएं	52.01 मशीनें एवं उपस्कर कार्यालय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	116000	1192000	350000	-	-	1658000
जिला सांख्यिकी पदा०							
2	पटना	75000	-	-	408420	80000	563420
3	नालंदा	25000	-	-	136140	80000	241140
4	भोजपुर	25000	-	-	136140	80000	241140
5	गया	50000	-	-	272280	80000	402280
6	मुंगेर	25000	-	-	136140	80000	241140
7	मुजफ्फरपुर	50000	-	-	272280	80000	402280
8	भागलपुर	50000	-	-	272280	80000	402280
9	दरभंगा	25000	-	-	136140	80000	241140
10	पूर्णियाँ	25000	-	-	136140	80000	241140
11	बेगूसराय	25000	-	-	136140	80000	241140
12	सारण	25000	-	-	136140	80000	241140
13	कटिहार	25000	-	-	136140	80000	241140
कुल योग:-		541000	1192000	350000	2314380	960000	5357380

(तिरपन लाख सन्तावन हजार तीन सौ अस्सी) रुपये मात्र।

२३/११/२०१७

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

*(Signature)*